

नाम न्यायालय : - सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट : मेर मु० जयपुर  
फर्द अहकाम

केस संख्या : 11/2018 ज०पत्र 09R13  
बनाम श्रीमती लाल

केस संख्या	
26/8/2018	<p>पतावली पैरा 101 पतावली व मूल वाड का अवलोकन किया गया। व० न० उप० प्राची व अप्राची अधिवक्ताओं द्वारा पूर्व में लिखित बख्त की जा चुकी है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान जयपुर के निर्णय दिनांक 11/4/2018 द्वारा प्राची व अप्राचीकरण को निर्णय की जानकारी दी जा चुकी है। हमें अधिवक्ताओं की बख्त व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के निर्णय का अवलोकन किया। इतना प्रह प्राची ज०पत्र 09R13 खारिज किया जाता है। पतावली केवल शुद्ध होकर मूल वाड के साथ संलग्न है।</p>

सहायक कलेक्टर  
मेर मु० जयपुर

